अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/349	
	श्री ... श्री ...	

29/11/24

नारायण सिंह बनाम रामसिंह व अन्य (349 / 20234)

यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट श्री मनीष व्यास के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी पेश करने पर तलब की गई। अभिभाषक श्री ज्ञानसिंह रावत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली हों। प्रार्थना–पत्र की प्रति अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दी गई। प्रार्थना–पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो चुका है, आज दिवस को कोई विवाद शेष नही है, राजीनामा के अनुसार अपीलांट वाद को चलाना नहीं चाहता इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील विड्रो करने से खारिज फरमायी जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि यदि अपीलांट अपील को विड्रो करते है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। अपीलांट नारायण सिंह के मुख्त्यारआम श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि नारायण सिंह उपस्थित हुयी। उन्होने बताया कि अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है और अपील विड्रो कर खारिज करवाना चाहते है।

अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट के मुख्त्यारआम श्रीमती लक्ष्मीदेवी अपील को विड्रो कर खारिज करवाना चाहते है जिस पर अभिभाषक रेस्पांडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है। न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट विड्रोल किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner